

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक.....180...../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 31 / 07 / 2026

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/4675 /तीन-6-5/2010 जबलपुर दिनांक 29.07.2026 के आलोक में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर 02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित प्राप्त सूची अनुसार सिविल/आपराधिक प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है :-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण अंतरित किया जाना है	प्रकरणों का प्रकार	प्रकरण जिस न्यायालय को अंतरित किया गया है
1	2	3	4
1	श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज, रीवा (म0प्र0)	1. SC No. 01 to 180 2. पाक्सों से संबंधित रिमाण्ड पत्रावली क्रमांक 01 से 10	श्री विवेक बुखारिया, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)
2.	श्री विवेक बुखारिया द्वितीय जिला न्यायाधीश मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)	1. RCA No. 76 to 100 2. UN CIV No. 01 to 78 3. Ex La No. 01 to 06 4. Macc No. 171 to 196 1. RCA No. 101 to 121 2. Macc No. 146 to 170	श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रथम जिला न्यायाधीश मऊगंज, रीवा (म0प्र0) श्री जय सिंह सरौते, प्रथम जिला न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश

नोट :- न्यायालय से प्राप्त प्रकरण की सूची आदेश का अंग होगी।

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 31 / 07 / 2026

पृष्ठांकन क्रमांक 3493 /
दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम/द्वितीय, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज।
2. प्रथम जिला न्यायाधीश मऊगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ मऊगंज।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)